वित्तीय स्वीकृति

संख्या-6/2021/094/18-2-2021-19(ल0उ0)/2017

प्रेषक

पन्ना लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2021

विषयः-अनुदान संख्या-3 लेखाशीर्षक-2851-102-06-जिला उद्योग केन्द्र योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से लेखाशीर्षक-2851-102-14-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की सुसंगत मदों में पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-123/4-वित्त/पुनर्विनियोग-2020-21, दिनांक 04-2-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-3 लेखाशीर्षक-2851-102-06-जिला उद्योग केन्द्र योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से हो रही बचतों में से लेखाशीर्षक-2851-102-14-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत कुल रू0 30.00 करोड़ (रूपये तीस करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न प्रारूप के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय करने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जाये, यदि प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं हो पाती है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31-3-2021 तक वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

3- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

6- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सुदपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

7- धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, 07 अप्रैल, 2020, 11 अप्रैल, 2020 व 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी0एम0-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों को वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-14-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-आरई-.410/ई-दस-2021 दिनांक 22 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2021/094(1)/18-2-2021 -तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय,125, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
4- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0–9 (भाग–1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भलीभंति देख लिया जाये)
अनुदान संख्या व नाम : – उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन)

वित्तीय वर्ष 2020–21 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2851–ग्राम तथा लघु उद्योग –102–लघु उद्योग –06–जिला उद्योग केन्द्र					
01–वेतन	8341.78	2787.97	2000.00	2000.00	6341.78
03–मंहगाई भत्ता	2091.70	1357.59	1000.00	1000.00	1091.70
योग	10433.48	4145.56	3000.00	3000.00	7433.48

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक(15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2851–ग्राम तथा लघु उद्योग –102–लघु उद्योग –14–विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 42–अन्य व्यय 2851–00–102–14–00–42	3000.00	6000.00	3000.00	3000.00	6000.00
योग	3000.00	6000.00	3000.00	3000.00	6000.00

स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–
वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्मिकों के काफी संख्या में सेवा निवृत्त होने के कारण वास्तविक देयों के आधार पर व्यय होने के कारण बचत की सम्भावना है।

मांग का औचित्य

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 112889 आवेदकों ने आन–लाईन के माध्यम से आवेदन किया है, जिसमें से 20000 आवेदकों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। अवशेष लगभग 90000 कारीगरों का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए लगभग धनराशि रू0 135.00 करोड के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। इन अवशेष कारीगरों में लगभग 1500 प्रवासी कारीगर हैं, जिन्हें

Scanned with CamS

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कराये जाने का प्रस्ताव है। द्वितीय चरण में अतिरिक्त 20000 कारीगरों को लाभान्वित कराये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए रू0 30.00 करोड़ की आवश्यकता होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर– 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आरई–410/ई–दस–2021, दिनांक 22 फरवरी, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0 इलाहाबाद।

हस्ताक्षर _____
नाम व पद नाम –पन्ना लाल, संयुक्त सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

हस्ताक्षर _____
नाम व पद नाम –विवेक त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।

संख्या–094/18–2–2021, दिनांक फरवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग
5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)

हस्ताक्षर _____
नाम व पद नाम –पन्ना लाल, संयुक्त सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

Scanned with CamS